कार्यालय कलेक्टर, जिला आगर-मालवा (म.प्र.)

क्रमाँक/ नाजिर/ 2016/221 आगर-मालवा, दिनाँक 22.06.2016 24

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्व विभाग अन्तर्गत निम्नांकित वाहनों की निविदा बोली जहॉ है जैसी है के आधार पर विक्रय की जाना है-

क्र.	कार्यालय का नाम	वाहन क्रमाँक	वाहन का प्रकार	माडल	आफसेट मूल्य (रूपये में)
1	कलेक्टर कार्यालय, आगर-मालवा	MP02- RD 4201	एम्बेसेडर	2002	15000-00

1. निविदाकार को अर्नेस्ट मनी (धरोहर राशि) रू. 5000.00 का चैक/ बैंक ड्राफ्ट भारतीय स्टेट बैंक, शाखा पर भुगतान योग्य कलेक्टर, जिला आगर-मालवा के नाम नीलामी के पूर्व प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा तथा वही व्यक्ति बोली मे भाग ले सकेगा। बोली स्वीकृत नही होने की दशा मे धरोहर राशि वापसी योग्य होगी। निविदा दिनाँक **07-07-2016** समय 2.00 बजे तक अधीक्षक, कलेक्टोरेट आगर-मालवा के कक्ष क्रमाँक 05 मे स्वीकार (ग्राह्य) की जावेगी तथा दिनाँक **07-07-2016** को ही दोपहर 3.00 बजे उपरांत कमेटी द्वारा निविदाए खोली जावेगी।
2. निविदाकार को वाहन जैसी हालत मे जहॉ है वहा से उठाना होगी।
3. निविदाकार की निविदा स्वीकार होने के पश्चात राशि एक मुश्त 07 दिवस के अन्दर जमा कराकर वाहन उठाना अनिवार्य होगा, अन्यथा जमा सम्पूर्ण राशि शासनहित मे राजसात कर ली जावेगी।
4. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत निविदा को कलेक्टर, जिला आगर-मालवा को किसी भी दशा मे अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा, तथा इस संबंध मे वाद किसी भी न्यायालय मे ग्राह्य नही होगा।
5. उल्लेखित वाहन की जानकारी प्राप्त कर उसकी स्थिति का अवलोकन किया जा सकता है। इच्छुक व्यक्ति कार्यालयीन समय मे वाहन का अवलोकन कर सकते है।
6. निर्धारित समय-सीमा के बाद अथवा डाक द्वारा प्राप्त निविदा मान्य नही होगी ।
7. सफल निविदादाता द्वारा वाहन के नामान्तरण, टैक्स आदि की कार्यवाही स्वतः ही वहन करना होगी। वाहन का नामान्तरण करवाने की कोई जिम्मेदारी विभाग की नही होगी।
8. बंद लिफाफे मे प्रस्तुत निविदा पर निविदाकार का नाम, पता तथा मोबाईल न. लिफाफे पर लिखना अनिवार्य होगा।
9. निविदादाता की कोई भी शर्त मान्य नही होगी।
10. उच्चतम निविदादाता की अमानत राशि जमा की जाकर शेष की राशि वापस की जावेगी।
11. विज्ञप्ति की समस्त शर्ते उच्चतम निविदादाता पर बंधनकारी होगी।

कलेक्टर
जिला- आगर-मालवा (म.प्र.)